

प्रेस नोट दि0-12.08.2025

जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-12.07.2025

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ०नि० अंतर सिंह मय हमराह का० विजय प्रकाश के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 235/2024 धारा 333, 115(2), 110, 352, 351(2) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी राजमंगल यादव पुत्र अमरलाल यादव निवासी ग्राम सदहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थाना गेट के सामने रामसुरेश की चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजमंगल यादव पुत्र अमरलाल यादव निवासी ग्राम सदहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० अंतर सिंह मय हमराह का० विजय प्रकाश थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 12.08.2025

थाना – उदयपुर, जनपद – प्रतापगढ़

पेट्रोल पम्प पर शराब के नशे में ₹3000 का पेट्रोल भरवाकर भुगतान न करने पर 04 आरोपियों को पुलिस ने वाहन सहित गिरफ्तार किया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.08.2025 को सायं लगभग 18:45 बजे ओम साई किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप, रामपुर कसया, रहाटीकर, से प्राप्त सूचना के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात सेल्समैन चंद्र केश पुत्र राम अजोर यादव निवासी राकी थाना उदयपुर ने बताया कि वाहन संख्या UP 32 MF 1119 से पहुंचे चार व्यक्ति शराब के नशे में पेट्रोल पंप पर ₹3000 का पेट्रोल भरवाकर भुगतान करने से इंकार करते हुए गाली-गलौज व धमकी देकर मौके से भाग गए। उक्त प्रकरण में थाना उदयपुर पर मु०अ०सं० 115/2025, धारा 316(2), 352, 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा घटना का संज्ञान लेकर, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक उदयपुर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में की गई।

सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सेल्समैन का बयान दर्ज करते हुए घटना का सीसीटीवी फुटेज संकलित किया गया। वाहन को ट्रेस कर प्राप्त लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने वाहन को कब्जे में लेते हुए उक्त चारों आरोपियों को सीएचसी सांगीपुर में मेडिकल परीक्षण के पश्चात थाने में दाखिल किया।

उक्त वाहन में सवार आरोपियों की पहचान/गिरफ्तारी –

1. कमलेंद्र सिंह उर्फ बबलू पुत्र सूर्यभान सिंह निवासी रहतीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. पारुल सिंह पुत्र राम लखन सिंह निवासी खंडवा भदरी थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़।
3. भवन लाल पुत्र कड़ेदिन निवासी रहतीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
4. विजय कुमार सिंह पुत्र तेजभान सिंह निवासी रहतीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

वाहन को 207 MV ACT के अंतर्गत सीज कर रजिस्ट्रेशन एवं वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने हेतु रिपोर्ट ARTO को प्रेषित की जा रही है।

उक्त प्रकरण में थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 115/2025, धारा 316(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत कर, समस्त आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष चालान किया जा रहा है।

प्रतापगढ़ पुलिस का बयान-

"जनपद में कानून व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नशे में धुत होकर सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करने वालों, भुगतान से बचने व धमकी देने जैसे कृत्य किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।"

पुलिस टीम का विवरण-

प्र0 नि0 प्रदीप कुमार

उ0नि0 घनश्याम

उ0नि0 नंदलाल

कां0 गिरीश कुमार

कां0 विधि चंद

कां0 सुरेंद्र कुमार

कां0 जोगेंद्र प्रताप सिंह

म0कां0 मीनू यादव

प्रेस नोट दि0-12.08.2025

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह है का० अमरनाथ यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर Old Cri. Case/742/2019.मु०अ०सं० 433/2018 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारंटी 1.कैलाश पुत्र भारतलाल उम्र करीब 40 वर्ष 2. गोविन्द पुत्र भारतलाल उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण ग्राम रैनीसतखरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र रानीगंज के ग्राम मिर्जापुर चौहारी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कैलाश पुत्र भारतलाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम रैनीसतखरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. गोविन्द पुत्र भारतलाल उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम रैनीसतखरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० शिवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह है का० अमरनाथ यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि०-12.08.2025

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा बरामद किया गया।

अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा श्रीकान्त का पुरवा गांव के पीछे लालगंज वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

मीशो कोरियर डिलेबरी व्याय के साथ दिनांक 11.08.2025 को आरोपी द्वारा मारपीट कर उसके उसके उपर जानलेवा हमला किया गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु०अ०सं० - 205/25 धारा 115 (2)/351 (2)/352/109 (1)बीएनएस व 3(1) /3(1)ध/3(2) V/3(2) VA एससी एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ०नि० जयकिशन मय

हमराह कां० राहुल कुमार, कां० अफजाल अहमद द्वारा तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त अशोक तिवारी सुत राकेश तिवारी निवासी श्रीकान्त का पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के श्रीकान्त का पुरवा गांव के पीछे लालगंज वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अशोक तिवारी सुत राकेश तिवारी निवासी श्रीकान्त का पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष

अपराधिक इतिहास अशोक तिवारी सुत राकेश तिवारी नि० श्रीकान्त का पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

1. मु०अ०सं० 195/25 धारा 115(2)/126(2)/352 बीएनएस व 66E आईटी एक्ट सम्बन्धित थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़
2. मु०अ०सं० 205/25 धारा 115(2)/351(2)/352/109(1)बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2)V/3(2)VA एससी एसटी एक्ट सम्बन्धित थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ०नि० जयकिशन मय हमराह कां० राहुल कुमार, कां० अफजाल अहमद थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि०-12.08.2025

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के उ०नि० अमित कुमार चौहान मय हमराह का उपेन्द्र सिंह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु०नं० 447/24 अ०सं०-18/24 धारा 60 आबकारी अधि० थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी शिवलाल पुत्र स्व० सहतू निवासी ग्राम मद्धपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवलाल पुत्र स्व० सहतू निवासी ग्राम मद्धपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० अमित कुमार चौहान मय हमराह का उपेन्द्र सिंह थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।